संख्या–2362/अड़तीस–7–2011–08एनआरइजीए/2010टीसी

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 22 जून, 2011

विषयः–प्रदेश की 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवनों के निर्माण के सम्बंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों के विषय में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः ए0ओ0–2877(ई0–1109), दिनांक 11.11.09 एवं परिपत्र संख्याः डी0ओ0–जे0–11013/2/2009, दिनांक 30.12.2009(www.nrega.nic.in पर उपलब्ध) में भारत सरकार ने यह व्यवस्था की है कि ग्राम पंचायत और विकास खण्ड स्तर पर आधारभूत सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों(BNRGSK) का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराया जाए।

2– पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या–1295/33–3/2011–135/09 दिनांक 29 अप्रैल 2011 में ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय की स्थापना हेतु 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनमें पंचायत भवन नहीं हैं, में पंचायत भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में पंचायतीराज विभाग द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना से आच्छादित 41 जनपदों की चिन्हित ग्राम पंचायतों में सचिवालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उपरोक्त जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश के शेष 31 जनपद(संलग्न सूची के अनुसार) में ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अनुमन्य भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण किये जाने हेतु प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– उक्त के क्रम में आरम्भिक रूप से जनपद की 5 हजार से अधिक आबादी वाली ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें ग्राम पंचायत भवन निर्मित नहीं है अथवा वर्तमान अवस्थापना सुविधाएं ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में चलाने के लिये अपर्याप्त हैं, में महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के स्वीकृत डिजाइन एवं लागत के अनुसार पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा। ऐसे चिन्हित जनपदों में ग्राम पंचायतों की संख्या व नाम जहाँ पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर निर्मित किये जाने हैं, की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य विकास अधिकारी) को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत होगी एवं कार्य कराने में इस बिन्दु का ध्यान रखा जाएगा कि जनपद स्तर पर श्रम : सामग्री का अनुपात 60 : 40 का बना रहे।

5- यदि पंचायत भवन के ले-आउट के निर्माण पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के लिये अनुमन्य धनराशि रू0 10.00 लाख से अधिक लागत आती है तो अवशेष धनराशि की व्यवस्था पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध अन्य योजनाओं की धनराशि से करायी जायेगी।

6- उपरोक्त पंचायतों में भारत सरकार राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु जनपद में उपलब्ध तकनीकी सहायकों के पैनल में से तकनीकी सहायक नामित किये जायेंगे। तकनीकी सहायकों का नामांकन इस प्रकार किया जायेगा कि 1 तकनीकी सहायक अधिकतम 5 केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रभारी होगा। तकनीकी सहायकों के नामांकन में यथासम्भव उनके विद्यमान कार्यक्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

7- भवनों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात यथावश्यक फर्नीचर एवं आई0सी0टी0 की बुनियादी सुविधाओं हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रशासनिक मद से व्यवस्था की जायेगी जिनके विषय में पृथक से निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।

8- उक्त परियोजना की प्रगति की समीक्षा पाक्षिक रूप से जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रारूप पर दी जाएगी:-

जनपद का नाम	5 हजार से अधिक आबादी वाली कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कॉलम 2 में चिन्हित ग्राम पंचायतों में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें BNRGSK निर्मित होना है।	कुल BNRGSK जिनके निर्माण हेतु सक्षम स्तर से अपेक्षित स्वीकृति निर्गत की गयी।	कुल BNRGSK जिनके सापेक्ष प्रथम किस्त अवमुक्त हो गयी।	कुल BNRGSK जिनमें निर्माण आरम्भ हो गया।	निर्माण की प्रगति			
						25:	50:	75:	100:
1	2	3	4	5	6	7			

25 प्रतिशत – कुर्सी स्तर (नींव खुदाई, बेस कंक्रीट, दरवाजा, खिड़की के लिन्टल लेविल का कार्य)
50 प्रतिशत सुपरस्ट्रक्चर चिनाई, लिन्टल, छज्जा, बीम, आर0सी0सी0 छत का निर्माण कार्य,
75 प्रतिशत भवन प्लास्टर, डोर, शटर, ग्रिल, गेट आदि की फिटिंग, फर्श का निर्माण कार्य,
100 प्रतिशत सैनेट्री, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, डिस्टेम्परिंग, कलरिंग सहित समस्त कार्य।

9- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

22.6.11

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

E ch GO.GO Jan-2011

संख्याः– 2762 (1)/अड़तीस–7–2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रगति समीक्षा सी0डी0ओ0 की मासिक बैठक में करवाना सुनिश्चित करें।
(3) अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
(4) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(8) समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

22/06/11

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)

उप सचिव।

E/eln GO\GO Jan-2011

शासनादेश संख्या:2762 /अड़तीस–7–2011–08एनआरईजीए/2010टी0सी0,
दिनांक: 22 जून, 2011 का संलग्नक

क0सं0	जनपद
1	आगरा
2	अलीगढ़
3	इलाहाबाद
4	बलिया
5	बरेली
6	बिजनौर
7	देवरिया
8	इटावा
9	फैजाबाद
10	फिरोजाबाद
11	गाजीपुर
12	जालौन
13	झाँसी
14	जे0पी0नगर
15	कन्नौज
16	रमाबाई नगर
17	कानपुर नगर
18	लखनऊ
19	महामायानगर
20	मथुरा
21	मैनपुरी
22	मऊ
23	मुरादाबाद
24	पीलीभीत
25	रामपुर
26	सहारनपुर
27	सं0र0न0 भदोही
28	शाहजहाँपुर
29	सुल्तानपुर
30	वाराणसी
31	सी0एस0एम0 नगर

E:\dk GO\GO Jan-2011

22/06/11
(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग
उ0 प्र0 शासन